

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-133/2019/

दिनांक:-

:-आदेश:-

श्री अमित कुमार, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टाई खण्ड मलसीसर, झुंझुनू का निम्न अवधि का असाधारण अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि इस आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावेगा:-

क्र.सं.	अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या
1.	दिनांक 13.12.2016 से 18.01.2017	37
2.	दिनांक 20.03.2017 से 27.03.2017	08
3.	दिनांक 20.04.2017 से 30.04.2017	11
4.	दिनांक 15.05.2017 से 01.06.2017	18
5.	दिनांक 27.06.2017 से 08.07.2017	12
कुल अवकाश अवधि		86

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 एवं दिनांक 07.08.2014 समसंख्यक आदेश 22.05.2009 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक 56 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-133/2019/89

दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को उनके पत्र क्रमांक 172 दिनांक 18.01.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित करे।
2. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर